न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 166/2011
प्रविष्टि दिनांक 3–6–2011

रामअवतार यादव पुत्र श्री दयानन्द यादव निवासी मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक

......आपत्तिकर्ता

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक)
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकण,
परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
3–तहसीलदार टोंक

.... विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 3 (जी) (5) एन0एच0एक्ट 1956

उपस्थित– (1) श्री बसन्त कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामअवतार सोनी अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 16–01–2019

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 4/6 लेन निर्माण के लिए आपत्तिकर्ता की भूमि ख0नं0 505 वाके ग्राम मेहगॉव पटवार हल्का धोलाखेडा तहसील टोंक में से 100 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है जिसके सम्बन्ध में मुआवजा राशि का अवार्ड जारी किया गया है जिसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता की ओर से आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई हैं कि अवार्ड पारित करने से पूर्व विपक्षी को न तो नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है न ही सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। आवत्तिकर्ता की अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक महत्व की भूमि है ओर पूर्व से ही एन0एच0 12 पर स्थित है, किन्तु भूमि का कृषि व आवासीय भूमि मान कर विपक्षी नं0 1 ने भारी भूल की है तथा अवाप्त भूमि का आवार्ड पुरानी डी0एल0सी0 दरों के आधार पर निर्धारित किया गया जो बिल्कुल गलत व नियम विरूद्ध है। आपत्तिकर्ता की उक्त अवाप्त की गई भूमि व्यवसायिक भूमि है जिसके पास व्यवसायिक परिसर, पेट्रोलपम्प, धर्मकांटा, होटल, डी0टी0ओ0 ऑफिस व दलालों की दुकानें, गलीचा फेक्ट्री, मदरसा, व सामने की ओर रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया आदि दुकानें व पंक्तिबद्व रूप से स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी आपत्तिकर्ता को अपनी सम्पूर्ण अवाप्त भूमि का मुआवजा परमानंद कॉलोनी की व्यवसायिक दर से निर्धारित कर दिलवाया जावे।

आरबीट्रेटर

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं अवार्ड पत्रावली 738,739,740,741/2009 दिनांक 20–12–10 तलब की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एंव लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया हे कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट की धारा 3 (जी)(7) के निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति , भूमि का प्रकार, सड़क सीमा के पास या दूर, को देख कर व भूमि की किस्म रिकार्ड अनुसार बारानी–2 मानकर मुआवता निर्धारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी ख0नं0 505 की 100 वर्गमीटर बारानी–1 की डी0एल0सी0 दर रूपये 180.48/रू0 के आधार पर एंव राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय 10 प्रतिशत खातेदार के पक्ष में अभिनिर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया है जो कि उचित एंव कानूनी है। प्रार्थी को यदि मुआवजा राशि के निर्धारण व भूमि अवापति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो प्रार्थी को 3 ए गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी परन्तु प्रार्थी ने कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। एन0एच0एक्ट की धारा 3 जी(7) के निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई जिसके आधार पर भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्व व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार का अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

हमने बहस प्रार्थी व अभिभाषक उभयपक्ष सुनी। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक भूमि है जिसके पास व्यवसायिक परिसर, पेट्रोलपम्प, धर्मकांटा, होटल, डी0टी0ओ0 ऑफिस व दलालों की दुकानें, गलीचा फेक्ट्री, मदरसा, व सामने की ओर रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया आदि दुकानें व पंक्तिबद्व रूप से स्थित हैं। इस प्रकार प्राथीगण आपत्तिकर्ता को अपनी सम्पूर्ण अवाप्त भूमि का मुआवजा परमानन्द कॉलोनी की व्यवसायिक दर पर निर्धारित करवा कर भुगतान कराया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 ने बहस के दोरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 505 की 100 वर्गमीटर बारानी–1 की डी0एल0सी0 दर एंव राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय 10 प्रतिशत राशि खातेदार के पक्ष में अभिनिर्धारित कर अंवार्ड पारित किया गया है जो कि उचित है एंव उसकी मुआवजा राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संख्या–12 द्वारा हितबद्व व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। प्रार्थी नितान्त गलत तथ्यों के आधारों पर व्यवसायिक भूमि का मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जो विधि विरूद्व होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

अमने उभयपक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत दस्तावजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न उपखण्ड

Scanned by CamScanner

अधिकारी टोंक के पत्र कमांक 63 दिनांक 8–1–2019 से प्राप्त अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 505 रकबा 0.01 बीघा भूमि के आधे हिस्से पर कांटों की बाड़ व बबूल के पेड़ लगे हुए हैं व शेष रकबा पड़त है। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट जो कि राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी, के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 डी की अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिसूचना में आराजी खसरा नम्बर 505 की 100 वर्गमीटर भूमि की किस्म बारानी–2 अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति , भूमि का प्रकार, सड़क सीमा के पास या दूर, को देख कर व भूमि की किस्म रिकार्ड अनुसार बारानी–2 मानकर मुआवजा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 505 की 100 वर्गमीटर भूमि किस्म बारानी–1 की डी0एल0सी0 दर 180.48/रू0 के आधार पर एंव राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय 10 प्रतिशत राशि खातेदार के पक्ष में अभिनिर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया है जो कि उचित एंव सही प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 16.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

Scanned by CamScanner